

प्रश्नक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

सेवा में

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक

डी०एच०वी० पब्लिक स्कूल
वेस्ट रोड सहारनपुर
जिला सहारनपुर।

पत्रांक - प्रबन्धक/775-76

/2005-06

/दिनांक-16-5-05

विषय:- प्राथमिक स्तरीय (कक्षा 1 से 5 तक) विद्यालय की मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषयक आपके आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय निरीक्षक अधिकारी की आख्या के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 13-5-2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2005-06 से अस्थाई मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकार की जाती है।

- (1) शिक्षण शुल्क रु.15.00 प्रतिमाह प्रतिछात्र से अधिक न लिया जाये।
- (2) किसी भी अध्यापक/कर्मचारी की नियुक्ति बिना इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किये न की जाये और न ही सेवा समाप्त की जाये।
- (3) विद्यालय में विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम ही पढाया जाये। अमान्य पुस्तकें कदापि न पढाई जाये।
- (4) प्रत्येक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान तथा भत्ते दिये जाय जो परिषदीय विद्यालयों में देय है।
- (5) गृह मान्यता उस परिसर एवं भवन के लिये है जिसका आवेदन पत्र में विवरण दिया गया है। भवन का स्थान बदलने की दशा में मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। विद्यालय की शाखा खोलने की अनुमति नहीं है।
- (6) अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थान पर भविष्य में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये।
- (7) विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण हेतु समस्त अभिलेख तैयार रखे जाये। किसी भी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने अथवा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर जिला मान्यता समिति द्वारा मान्यता समाप्त की जा सकती है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय की प्रबन्ध समिति का होगा।
- (8) विद्यालय में अग्निशामक यंत्रों की भी समुचित व्यवस्था की जाये।
- (9) 5 वर्ष के अन्दर स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- सहाराक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र/
नगर क्षेत्र सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

प्रेषक:-

सहायक शिक्षा निदेशक वैशिक
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,

डी०ए०वी० पब्लिक यूनिवर्सिटी स्कूल, -----

सहारनपुर-१-।-----

पत्रांक:- मान्यता/ 137-144 /2000-2001 दिनांक:- 31-10-2000

विषय:- अक्षात्कीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

भारतनादेश संख्या 646/15-6-97-18 एरंडू 78/89 दिनांक 13.8.97 में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक-09-10-2000 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता वैशिक सन् 2000-2001 से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है ।

भारतनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु विम्बलिखित शिक्षक/एन. शिक्षक/एन. शिक्षक/एन. कर्मचारियों के पद अनुमत्त होंगे ।

प्रधानाध्यापक - एक
सहायक अध्यापक - चार
लिपिक - एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - एक

उक्त जनशक्ति में त्रिमासा/आषट्क अध्यापक जाने जायेंगे। अक्षात्कीय/विभागीय आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा प्रक. आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रस्तावरूप एक अधिकारी अभ्रत, वैशिक शिक्षा पारिषद को होगा ।

भवदीय

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैशिक
सहारनपुर मंडल, सहारनपुर

पु.टांकन संख्या :- मान्यता/

/2000-2001 उक्त तिथि को

प्रतिभाषित विम्बलिखित अधिकारों को सुव्यवस्था में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- उपर शिक्षा निदेशक वैशिक उ.प्र. १, शिक्षा निदेशालय, शाहजहाँपुर ।
- 2- सचिव, उ.प्र., वैशिक शिक्षा पारिषद, शाहजहाँपुर ।
- 3- जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर-1 - - - -
- 4- सेवाधिकारी, कार्यालय जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी-सहारनपुर-1- - - -
- 5- जिला समान कल्याण अधिकारी-सहारनपुर-1- - - -
- 6- उप वैशिक शिक्षा अधिकारी- - सहारनपुर-1- - - -
- 7- सहायक वैशिक शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र - - - - -
- 8- नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र - - - - -

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक वैशिक
सहारनपुर मंडल सहारनपुर ।

M. Damba
Principal
S.R.D.A.V. Public School
Saharanpur